Joint Committee Inspection Report

To be
Submitted in reference to the

<u>Hon'ble National Green Tribunal</u>
<u>(CZ), Bhopal</u>
<u>Order dated 31.05.2024</u>

In the matter of

<u>Original Application No. 138/2024 (CZ)</u>

<u>Prajesh Bisen & Ors</u>
VS
<u>Chief Municipal Officer, Balaghat & Ors</u>

<u>Members of the Committee: -</u>

1- **One representative from the collector, Balaghat (M.P.)**
2- **One representative from the State Pollution Control Board**

<u>Date of Inspections:</u> - 30.07.2024 and 23.08.2024

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL,
CASE NUMBER : OA 138/2024 (CZ)

IN THE MATTER OF:

PRAJESH BISEN ....APPLICANT

VERSUS

CHIEF MUNICIPAL OFFICER, BALAGHAT & Ors ....RESPONDENT

INDEX

Sr. No.	Particulars	Annexure	Page
1.	Joint Committee Inspection report		3-10
2.	Copy of nomination orders received from Collector Balaghat and MPPCB	Annexure – 01	11-16
3.	Copy of Authorization issued under MSW Rules, 2000 by MPPCB	Annexure- 02	17-18
4.	Copy of Panchnama recorded During Inspection	Annexure – 03	19-20
5.	Copy of work order issued by Municipal Council Balaghat for bio-mining of legacy waste	Annexure – 04	21-25
6.	Copy of order issued by Hon’ble District Court Balaghat	Annexure - 05	26-37
7.	show cause notice issued by MPPCB to CMO Balaghat for Non-Compliances of MSW Rules	Annexure-06	38
8.	Copy of EC imposed on Municipal Council Balaghat by MPPCB	Annexure-07	39-40
9.	Copy of letter to collector Balaghat for the recovery of the EC	Annexure-08	41
10.	10. GPS Photograph taken During inspection	Annexure-09	42-46

Date:28.08.2024

Submitted by MPPCB:-

through Counsel
Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

<u>Joint Committee Inspection Report</u>
<u>(NGT O.A. No. 138/2024) (CZ)</u>

Hon'ble National Green Tribunal, (CZ), Bhopal had issued the following directions vide order dated 31.05.2024 in the O.A. No. 138/2024 (CZ) i.e. Prajesh Bisen & Others Vs Chief Municipal Officer, Balaghat & Ors. Hon'ble National Green Tribunal, (CZ), Bhopal had constituted a committee comprising of following members: -
(i)One representative from the collector, Balaghat (M.P.)
(ii)One representative from the state pollution control board
To visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The background and relevant extract of the order dated *31.05.2024* are furnished below*: -*

"1. Issue raised in this application is non-compliance of Solid Waste Management Rules, 2016 and dumping/throwing Solid Waste at non designated site at Khasra No. 4/1 village Rengatola, Tehsil Waraseoni, District Balaghat (M.P.) by Municipal Council, Balaghat, in violation of environmental rules, Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act. 1981, and Solid Waste Management Rules, 2016.
2. A substantial issue of the environment has been raised. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.
3. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and on available email.
4.Respondents are directed to submit their reply within six weeks through an e-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
5.The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
6. Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the committee and respondents within a week and after compliance of service, the applicant has to submit an affidavit that the notice and copy of the application have been served on the committee and respondents.
7.The report on the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

In compliance with the directions issued by the Hon'ble NGT (CZ) in O.A. 138/2024 dated 31.05.2024, the Collector, Balaghat initially nominated the Chief Municipal Officer, Municipal Council Balaghat as his representative through letter no. 2918 dated 04.07.2024. However, in response to that MPPCB raised concerns about a potential conflict of interest, as the CMO Balaghat was the main party in this matter. This concern was communicated to the Collector Balaghat via letter no. 964 dated 10.07.2024. Meanwhile, inspection was conducted by the joint committee comprising of the CMO Municipal council, Balaghat and the Regional Officer, MPPCB RO Jabalpur on dated 30.07.2024. Later on, the Collector Balaghat re-nominated the SDM Waraseoni as his representative through letter no. 235 dated 10.08.2024, and a re-inspection of the same site was conducted on dated 23.08.2024.

The committee comprising of the following nominated members was constituted: -

S.No.	Name of Department	Name of Committee Members
1.	Representative from the Collector, Balaghat (M.P.)	Shri Rajiv Ranjan Pandey Sub Divisional Magistrate (SDM) Waraseoni, Balaghat (M.P.)
2.	Representative from M.P.P.C.B., Regional Office Jabalpur	Shri Alok Kumar Jain Regional Officer, M.P.P.C.B.

Copy of nomination orders received from Collector Balaghat are enclosed as **Annexure-1**

Details of the officials and applicants/petitioners present during the site visit on dated 30.07.2024 and 23.08.2024 are as follows: -

i. Shri Rajeev Ranjan Panday, SDM Waraseoni, District Balaghat (M.P.)

ii. Shri Alok Kumar Jain, Regional Officer, MPPCB Regional Office Jabalpur (M.P.)

iii. Shri Nishant Shrivastava, CMO, Municipal Council Balaghat (M.P.)

iv. Shri Deepak Bisen, Sub Engineer Municipal Council Balaghat (M.P.)

v. Shri Jaikishan Sharma, Sub Engineer, MPPCB RO Jabalpur (M.P.)

vi. Shri Ayeed Parvez, Contract Engineer, MPPCB RO Jabalpur (M.P.)

vii. Mayur Bisen, Local Resident and Complainant

viii. Lalit Sahare, Local Resident and Complainant

ix. Vikki Tiwari, Local Resident and Complainant and others

This report is being filed by the joint committee after conducting the field visits on dated 30.07.2024, 23.08.2024 and looking into the various issues raised by the complainants and after due discussions with complainants/petitioners and other stakeholders.

Brief on the MSW Trenching Ground Balaghat:-

- The Site Mentioned in the petition is of Nagar Palika Parishad Balaghat MSW dumping site. It is located approximately 425 meters away from the river Wainganga. The site is located approximately 450 meters away from Industrial Area Garra and about 1000 meters away from nearby village Rengatola. A local nala flows adjacent to the boundary of trenching ground which directly meets into Wainganga River.

- Board had granted authorization under MSW rules, 2000 on dated 31/12/2005 at Khasra No. 4/1 P.H. No 28 (area 20 Acre) Village Rengatola Tehsil-Waraseoni District Balaghat to Municipal Council Balaghat for the processing of MSW waste for capacity of 20 TPD. Copy of Authorization issued under MSW Rules, 2000 is attached as **Annexure-2**
- As per the revenue records produced at the time of inspection the mentioned site is reserved for the disposal of MSW waste.

- At the Dumping site of Balaghat, there is a material recovery plant, composting plant, and plastic segregation and baling press machine.
- A boundary wall of about 7-8 feet height, has been constructed towards road side of MSW dump site. Some plantations are found in the premises periphery of trenching ground.
- During inspection approximately 60000-70000 M.T. of legacy waste was found to be stored in premises.
- During inspection it was found that due to anaerobic decomposition, there is an issue of foul smell. However, no incidence of fire was found during inspection.

<u>Field observations: -</u>

The complaint/petition and subsequent judgements in this matter have highlighted the following issues: -

Petition dated 27.05.2024 in the matter O.A. 138/2024 (CZ)		
S. No	**Specific Issues Raised**	**Factual Observations against issues**
1	That, the issue in the instant matter relates to the area of villages where air pollution is being caused due to the burning of solid waste and pollution being caused to the river water which is just few meters away from the dumping ground, at Khasra No. 4/1, Village Rengatola, Teh. Waraseoni, District Balaghat. In rainy season, due to burning of solid waste, contaminated & dirty water percolates into underground and discharge of waste mixes with river as well as water endangering borewell waters of the agriculturists.	During the inspection, it was found that the area of trenching ground of the Municipal Council Balaghat is about 20 acres with boundary wall at the roadside of height approximately 7-8 feet. Solid waste is scattered in multiple dumps across the site. Municipal council has installed a material recovery plant for segregation of the waste, baling press machine and composting plant. No machine was found operational during the inspection. There was no burning within the trenching ground was found during inspection, due to the rainy season. A segregation facility was present at the site during the

		inspection. However, due to heavy rain, leachate/seepage from the dumping site is flowing into nearby nala which ultimately meets to the river wainganga.
2	The area/place was initially allocated to Social Welfare Samiti and an ayurvedic hospital for welfare of the citizens of Balaghat which was to be constructed. However, Respondent No. 1 Municipal Council Balaghat without any useful purpose has made it a dumping yard without any legal sanction or authority of law. Now all household waste, plastic material, bags, polyethene and others solid waste ingredients are being carried from city and dumped / thrown by the Respondent authority.	As per the revenue records produced during inspection by municipal council Balaghat the said land i.e. dumping site is reserved for the disposal of the MSW waste. It is submitted that Board had granted the authorization to set up the MSW treatment/disposal facility at this site at Khasra No. 4/1 P.H. No. 28 Village-Rengatola, Tehsil-Waraseoni District-Balaghat
3	That, the Respondent Municipal Council is dumping solid waste in adjoining Rengatola trenching ground, where this waste is being continuously dumped and burnt. Due to this act of burning waste where polythene bags/waste is burned in large quantity, poisonous gases including Green House Gases (GHG) such as carbon dioxide are emitted and surround nearby places with cloud of smoke containing life-threatening particles.	During the inspection, there was no burning within the trenching ground was found during inspection, due to the rainy season. It is most humbly submitted that there is a possibility of fire incident during summer days due to accumulation of legacy waste in larger quantity and formation of anaerobic conditions which may result into formation of green house gases like methane etc. having calorific value and bad odor.
4	That, the Respondent No. 1 Municipal Council officials are also discharging human waste from the common septic tank in the said area. This human waste is directly discharge through a nalla in	During inspection the human waste discharge from septic tanks is not found and no signs of animal dead bodies were observed in the MSW Dumping site. However, leachate

	Wainganga River which is as auspicious as treated as life giver to the worshipper and residents of Balaghat. Surprisingly, the Respondent is also throwing the dead-body of animals and dumping them in the trenching ground, causing foul bad smell, engulfing large area including the said villages within its impact.	formation in the trenching ground was found which ultimately flows into river wainganga through near by nala. There is a functional FSTP present within the dumping site. However, in rainy season there is a possibility of mixing up of waste from FSTP into nearby Nallah, which ultimately flows into river Wainganga.

Copy of Panchnama recorded during site Inspections dated 30.07.2024 & 23.08.2024 are enclosed as **Annexure-3.**

- **<u>Action Taken: -</u>**

  A) <u>Municipal Council Balaghat: -</u>

  1. Municipal council Balaghat has issued the workorder for biomining of the legacy solid waste accumulated in trenching ground. However, till date no bio mining activities have been started at dumping site. Copy of Work order issued is attached as **Annexure-4.**
  2. Municipal council has decided to carry out extensive plantation using Miyawaki technique within the premises and along the periphery of Dumping Site.

- **B) <u>M.P. Pollution Control Board Jabalpur: -</u>**

  1. The MPPCB has filed a Court case against the Municipal Council Balaghat under Environmental (Protection) Act 1986 before the Hon'ble District and Session Court of Balaghat in the year 2015. The Hon'ble Court has imposed a penalty of Rs 10,000 on the CMO, Municipal Council Balaghat. Copy of order issued by Hon'ble District Court Balaghat is attached as **Annexure-5.**
  2. The MPPCB has issued an issued show cause notice to the CMO Balaghat, for non-compliance of MSW rules like non-operational Material recovery plant, No treatment and disposal of legacy waste and no facility for collection and treatment of leachate liquid waste. Copy of letter is attached as **Annexure-6.**

3. The MPPCB has imposed Environmental Compensation of Rs 126 Lakhs on dated 24.12.2021 for non-compliances as per the Hon'ble NGT order in the matter of O.A. 606/2018, which is not deposited by the municipal council till date. **Annexure-7**
4. Board has also written a letter to collector Balaghat for the recovery of the EC amount as a part of land revenue vide its letter no.1212 dated 29.08.2023 copy of letter is attached as **Annexure-8.**

Photograph taken during inspections dated 30.07.2024 & 23.08.2024 are enclosed as **Annexure-9.**

➢ **Recommendations: -**

Based on the inspections carried out by Joint Committee on dated 30.07.2024 and 23.08.2024, following are the Recommendations: -

1. Given the increasing load of MSW generation, it is essential to treat and dispose of the accumulated legacy waste. Therefore, the Municipal Council should expedite the bio-mining process as soon as possible and prepare a time-bound action plan accordingly. Municipal Council Balaghat shall make the MSW plant functional for the continuous and time bound disposal of the MSW waste on daily basis.
2. Municipal council should carry out extensive plantation all along the periphery of the trenching ground.
3. As per the MSW rules, 2016 municipal council Balaghat shall declare a buffer zone in the radius of 300-500 meters of trenching ground and no human settlement or construction activities to be allowed in this buffer zone.
4. Municipal council Balaghat shall install STP (Sewage Treatment Plant) for the collection and treatment of leachate liquid waste.
5. Material recovery plant shall be made operational immediately and material recovered from material recovery plant shall be disposed of regularly Waste to Energy plant/ Co-processing in Cement plants.

6. Municipal Council Balaghat shall maintain records of MSW generation, collection, Segregation, treatment and its disposal.
7. Municipal Council Balaghat shall install firefighting system to avoid any accidental fire incident.
8. Municipal Council Balaghat shall obtain valid authorization from MPPCB.

(Alok Kumar Jain)
Regional Officer
M.P. Pollution Control Board
Jabalpur (M.P.)

(Rajiv Ranjan Pandey)
SDM Waraseoni
Balaghat (M.P.)

Annexure 1

कार्यालय कलेक्टर व्यवहारवाद शाखा बालाघाट (म0प्र0)

।। आदेश।।

क्र./ 2118 /सिविल सूट/2024

बालाघाट दिनांक 4 / 07 / 2024

सिविल प्रकिया संहिता 1908 (अधिनियम संख्यक-5) के आदेश 27 के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये :- न्यायालय माननीय न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 138/2024 (CZ) प्रजश बिसेन पिता स्व0 श्री एम0आर0बिसेन, निवासी वार्ड नं0 12, गर्रा, बालाघाट व अन्य वि0 मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अन्य व म0प्र0 शासन एवं अन्य राज्य के लिये तथा उनकी ओर से मुख्य **नगरपालिका अधिकारी बालाघाट, जिला बालाघाट** को प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों के हस्ताक्षर करने और इन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने आवेदन करने और उपस्थित होने से वर्णित कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वे अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये है निम्नलिखित कार्य करेंगे.-

1 प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के आदि में तुरंत ऐसी जाच करेंगे, जैसी कि आवश्यकता हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिंदुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिसमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेंगे। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उसे विभाग की राय की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जायेगी।

2 समस्त सुसंगत फाईल दस्तावेज नियम अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेंगे।

3 यदि याचिका में उठाये गये समस्त बिंदुओ का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिसमें कि शासकीय अभिभाषक की सहायता पहुचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे।

4 उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सपर्क करेंगे।

5 शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायें।

6 प्रभारी अधिकारी, निम्नलिखित कागज पत्र भेजेंगे।

(क) यदि पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट

(ख)प्रस्तावित लिखित कथन एक प्रारूप?

(ग) उन सभी दस्तावेजों की की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

(घ) मामले के विशुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इस वाद की सुनवाई दिनांक भी वर्जित होनी चाहिए।

7 मामले की तैयारी और सचालन करने मे शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करेंगे और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियम किये गये कर्तव्यों के स्वयं को सदैव ही अवगत करेंगे।

8. जब भी कोई आदेश निर्णय विशिष्टतया म.प्र. राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, विधि और विभाग को सूचित करेंगे तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन आगामी कार्य दिवस को आवेदन करें।

09 अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की अगली कार्यवाही किये जाने के लिए विधि विभाग को भेजेंगे

10 यह देखेंगे कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने रिपोर्ट बनाने करने और उसकी सूचना में समय नष्ट नहीं हो।

11 यदि उन्हें अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त नहीं होता है, वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम तत्काल इस कार्यालय की जानकारी देंगे। यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी बने रहेंगे, जब तक की अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्ति नहीं कर दिया जावे।

12 प्रभारी अधिकारी, मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव सहयोग दें तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होंगे कि कोई महत्वूपर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रगटित/छुपी हुई न रह जायेगे।

13. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजन मुर्करर है तो वैसे ही वाद का विनिश्चयन हो है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेंगे। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जायें

14. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजन मुर्करर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होंगे कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावें। विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करेंगे।

कलेक्टर,
जिला–बालाघाट

पृष्ठाकन कमाक/ 1918/ /सिविल सूट/2024 बालाघाट, दिनांक 4/ 07 /2024

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, नगरीय विकास एवं विकास संचालनालय, म0प्र0 तृतीय तल, पालिका भवन शिवाजी नगर भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित। (Commissioner@mpurban.gov.in
2. रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल को उनके पत्र कमांक NGT-CZB/2024/233 Bhopal, Date 01/06/2024 के पालन में सूचनार्थ संप्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर, स्कीम नं0 5, प्लाट नंबर 455,456 विजय नगर जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ropcb-jabalpur@mp.gov.in
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी बालाघाट, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि आप प्रकरण से संबंधित अभिलेख प्राप्त कर शासकीय अधिवक्ता जबलपुर से संपर्क करें और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट पर अधिवक्ता से आगे के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ–साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजना चाहिए। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जायें ।यदि प्रकरण में मुख्य सचिव महोदय को पक्षकार बनाया गया हो तो उनको पक्षकार से विलोपित करने की कार्यवाई करें। उक्त आदेश की प्रति ई–मेल के माध्यम से भी प्रेषित की गई है।

कलेक्टर,
जिला–बालाघाट

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल-462016
Fax No :+91-755-2463742 E-mail : lt_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक /विधि/एनजीटी/प्रनिबो/2024, भोपाल, दिनांक

// आदेश //

सिविल प्रकिया संहिता 1908(1908 का अधिनियम संख्याक 5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये **क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर** को (पक्षकारों के नाम) **OA 138/2024 (Prajesh Bisen Vs Chief Municipal Office,Balaghat & Ors.)** भोपाल बेंच, में म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने, आवेदन पत्र करने और उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है, कि म0प्र0 विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त के तुरन्त पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये है, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

(1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जॉच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त विन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनसे कि मामले के संचालन में बोर्ड अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना हो। रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिदिर्ष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावे।

(2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।

(3) याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे की बोर्ड द्वारा नियुक्त अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(4) उक्त रिर्पोट तथा सामाग्री के साथ बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।

(5) बोर्ड अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।

(6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजपत्र भेजेगा :-

   (1) बादपत्र की एक प्रति के साथ बोर्ड की एक रिर्पोट।
   (2) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
   (3) उन सभी दस्तावेजों की एक पूरी सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण**, भोपाल बेंच में प्रस्तावित है, और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है ।
   (4) मामले के विशादीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां, इसमें बाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।

(7) मामले की तैयारी और संचालन करने में बोर्ड अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रकम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वंय को सदैव ही अवगत रखना।

(8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तया बोर्ड के विरूद्व पारित किया जाता है तो बोर्ड को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना ।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल-462016
Fax No :+91-755-2463742 E-mail : lt_mppcb@rediffmail.com

(9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा बोर्ड अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही के किये जाने के लिये इस बोर्ड को भेजेगा।

(10) यह देखना कि आवेदन करने मे तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।

(11) जैसे कि उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी जब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।

(12) प्रभारी अधिकारी,मामला तैयार करने में बोर्ड अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि,कोई महत्वपूर्ण पत्र या दस्तावेज आप्रकटिक/छुपी हुई न रह जाये।

(13) प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह जैसे ही विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट सदस्य सचिव को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।

(14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रक्रम में कार्य किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुर्नरीक्षण आपेक्षित है। समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित की जाये सदस्य सचिव को अपनी अनुशंसा के साथ बोर्ड को अग्रेषित करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

डायरेक्टर पर्यावरण(विधि)

पृ0क्र0 1787 /विधि/एनजीटी/प्रनिबो/2024, भोपाल, दिनांक 07 JUN 2024

प्रतिलिपि :-

(1) **क्षेत्रीय अधिकारी,क्षेत्रीय कार्यालय, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर** प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित साथ ही बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर बोर्ड अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ सदस्य सचिव को भेजने हेतु अग्रेषित मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड को सदैव ही भेजी जावे। **कृपया बोर्ड रिटेनर के माध्यम से आदेश के अनुपालन हेतु प्रतिवेदन मा.एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत करे, ताकि निर्धारित समयावधि में माननीय एनजीटी के आदेश का पालन हो सके।**

(2) श्रीमती पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चेम्बर, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डायरेक्टर पर्यावरण(विधि)
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
स्कीम नं0 5 प्लाट नं.455/456 विजयनगर जबलपुर-482002
Phone & Fex-0761-4042780 E-Mail romppcbjbp@rediffmail.com

क्रमांक/964/क्षेका/प्रनिबो/2024

जबलपुर दिनांक 10/7/24

प्रति,

कलेक्टर- बालाघाट
जिला- बालाघाट (म0प्र0)

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण 138/2024 (CZ) प्रजेश बिसेन व अन्य विरुद्ध मुख्य नगरपालिका अधिकारी बालाघाट एवं अन्य में अपना प्रतिनिधि नामित किए जाने के संबंध में ।

संदर्भ- आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 2918 दिनांक 04/07/2024

-------00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 138/2024 (CZ) प्रजेश बिसेन व अन्य विरुद्ध मुख्य नगरपालिका अधिकारी बालाघाट एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31/05/2024 के परिपालन में स्थल निरीक्षण कर कार्यवाही प्रतिवेदन (Action Taken Report) जमा किया जाना है । उक्त के संबंध में आपके द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है । चूँकि उक्त प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को मुख्य पार्टी बनाया गया है अतः मुख्य नगरपालिका अधिकारी को जाँच समिति के सदस्य के रूप में नामित करना हित संघर्ष (Conflict of Insterest) की श्रेणी में आ सकता है ।

अतः उक्त के संबंध में पुनः आपके द्वारा अपना प्रतिनिधि नामित किया जाने का अनुरोध है । मामले की अगली सुनवाई दिनांक 02/09/2024 को नियत की गई है ।

O/C

(आलोक कुमार जैन)
क्षेत्रीय अधिकारी
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ज़बलपुर

कार्यालय कलेक्टर

जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला - बालाघाट (म.प्र.) 481001

District Urban Development Agency, Dist. – Balaghat (M.P.) 481001

कार्यालय दूरभाष 07632-240390 ई-मेल :- podudabalaghat@mpurban.gov.in

क्रमांक / 235 / जि.श.वि.अभि. / 2024 / 235 बालाघाट, दिनांक 16 / 08 / 2024

प्रति,

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
वारासिवनी
जिला बालाघाट

2. क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर

विषय: नेशनल ग्रीन ट्रिब्नल भोपाल का प्रकरण क्रं.138 / 2024 प्रजेश बिसेन विरूध्द मुख्य नगर पालिका अधि. बालाघाट में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किए जाने बावद।

संदर्भ: मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल का आदेश पत्र दिनांक 31.7.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित में लेख है कि उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्नल भोपाल का प्रकरण क्रं.138 / 2024 प्रजेश बिसेन विरूध्द मुख्य नगर पालिका अधि. बालाघाट में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किए जाने आदेशित किया गया है।

अतः इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) वारासिवनी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर प्रकरण की जांच मिलकर करेंगे साथ ही नियमित रूप से प्रकरण के संबंध में न्यायालयीन कार्यवाहियों को पर्यवेक्षण करेंगे और मासिक रूप से न्यायालयीन प्रकोष्ठ के सक्षम अधिकारी को उक्त संबंध में प्रारिथति प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

सलग्नः– दिनांक 31 मई 2024 / O.A . NO.138/2024[CZ]

कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित

(हस्ताक्षर) 16.08.24

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
बालाघाट

पृ. कमांक / 235A / जि.श.वि.अभि. / 2024

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
4. सयुक्त संचालक (SBM) संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल की ओर सूचनार्थ। शासकीय अधिवक्ता, मध्यप्रदेश शासन, माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण बैंच , भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वालाघाट की ओर सूचनार्थ।

(हस्ताक्षर) 16.08.24

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
बालाघाट

(24)

Annexure 2

(64) (4)

REGIONAL OFFICE
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
SCHEME NO.5, PLOT NO.455/456, VIJAY NAGAR, JABALPUR

No. 9844 ..../P.C.B./T.S./JBP/2005,

DATED:...31/12/05

To,

Chief Municipal Officer,
Nagar Palika Parishad Balaghat,
District – Balaghat (M.P.).

Sub:- Grant of Provisional Authorization u/s 6[3] Municipal Solid Waste [Management & Handling Rules, 2000.

Ref:- Your Application No. Nil dated:07-04-2005

The Regional Officer, M. P. Pollution Control Board, Jabalpur after examining the proposal hereby provisionally authorize Nagar Palika Parishad, having their Administrative Office in Balaghat District - Balaghat to set up and operate waste processing & waste disposal facility at Khasra No. 4/1, Patwari Halka No. 28, having total Area 20 Acre. Village – Rengatola, Tehsil – Waraseoni, District- Balaghat on the terms and conditions [including the standards to comply] attached to this authorization letter for the following operating facilities as :-

a. Composting Plant -
b. Incinerator -
c. Sanitary Landfill 20 MT/day (Twenty Metric Tonnes per day.

1. This authorization shall be valid up to 30-06-2006. After the validity, permanent authorization is to be sought.
2. With the issue of this authorization letter the previous authorization issued by this office vide letter No. 6552 dated: 25-11-2004 is deemed as canceled with Immediate effect.
3. The M.P. Pollution Control Board may, at any time, revoke/ amend any of the conditions applicable under the authorization and shall communicate the same in writing.
4. Any violation of the provision of the Municipal Solid Waste [Management & Handling] Rules 2000 will attract the penal provision of the Environment [Protection] Act, 1986 [29 of 1986].

Note:- X. This provisional authorization is granted to the Nagar Palika Parishad Balaghat District - Balaghat without prejudice to the fact that the Municipal Corporation have not violated the provisions of MSW Rules, 2000 in the past or any criminal proceedings pending against the Municipal Corporation in any of the Court of Law. This authorization in no way be taken as a measure of proof that Municipal Corporation has not violated the provisions of MSW Rules at any time in the past. Hence, whatsoever may be the legal status of the past shall remain as such or decision of Hon'ble Court shall be the binding on the Municipal Corporation and this Board.

Contd......2

Y. This provisional authorization is granted subject to the conditions that the Nagar Palika Parishad shall submit the detailed project reports with time bound action plan in accordance with the provisions of the MSW Rules within 06 months from the date of issue of this authorization order for the [a] Composting plant [b] Incinerator [c] Sanitary landfill at Khasra. No. 4/1, Patwari Halka No. 28, having total Area – 20 Acre, Village – Rengatola, Tehsil – Waraseoni, District – Balaghat failing which this authorization shall be cancelled without further correspondence to the Municipal Corporation.

Z. This provisional authorization is granted subject to the conditions that the Municipal Corporation shall submit land allotment letter and the no objection certificate for the site of composting plant and sanitary landfill from the State Urban Development Department, Air Port or Air base authority, the Ground waster Board, District Forest department and Town and Country department within 06 months from the date of issue of this authorization, failing which this authorization shall be deemed to be cancelled. The Municipal Corporation shall have to change the site if. any of the said departments object the site for any of the reasons & this authorization shall be automatically cancelled.

Encl: As above

For & on behalf of
M.P. Pollution Control Board

O/C

REGIONAL OFFICER
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
JABALPUR

Endt. No. 9245 P.C.B./T.S./JBP/2005, DATED: 31/12/05

Copy to :-

a. The Member Secretary, M.P. Pollution Control Board, Bhopal.

b. The Collector, District – Balaghat for information and compliance of rule – 5 [II] of MSW Rule, 2000.

REGIONAL OFFICER
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
JABALPUR

O/C

//Patel//

Annexure 3

पंचनामा

आज दिनांक 30/7/2024 दिन मंगलवार को गर्रा ट्रेंचिंग ग्राउंड मे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर टीम एवं नगरपालिका परिषद बालाघाट से मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं कर्मचारी गण एवं ग्राम पंचायत गर्रा एवं रेंगाटोला के नागरिको द्वारा संयुक्त रूप से उपस्थित होकर स्थल निरीक्षण किया गया।

मयुर निरेन्त

30.7.24

30/7/24

चितरंजन तिवारी
(चिन्नी तिवारी)

30/07/24

30/7/24

ललित सहारे

30/07/24

पंचनामा

स्थल :- बालाघाट नगर पालिका ट्रेंचिंग ग्राउण्ड

दिनांक :- 23/08/2024

माननीय एन.जी.टी. में प्रचालित प्रकरण क्रमांक 138/2024 (CZ) प्रजेश बिसेन व अन्य एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी बालाघाट व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31/05/2024 के पारित अनुपालन में कलेक्टर बालाघाट के प्रतिनिधि के रूप में अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी (बालाघाट) तथा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर एवं नगर पालिका परिषद बालाघाट के अधिकारियों की उपस्थित में आज दिनांक 23/08/2024 को बालाघाट नगर पालिका परिषद के ट्रेंचिंग ग्राउण्ड (शिकायत स्थल) का निरीक्षण किया गया।

[signature] /SDM

[signature] SO(B&R) / PCB 23/08/2024

[signature] 28/08/24

[signature] CP, MPPCB 23/08/2024

Vikash Kumar

[signature] विक्रांत साहब

Annexure 4

कार्यालय नगरपालिका परिषद् बालाघाट जिला बालाघाट(म.प्र.)

(दूरभाष क्र. 07632-2413116/2413118/247101-- cmobalaghat@mpurban.gov.in, cmo.bgt@gmail.com)

क्र./ एफ / स्वां. शाखा / 2024 / 1030 बालाघाट, दिनांक- 15/5/24

कार्यादेश

प्रति,

आयुषी हाइजीन एंड केयर
प्राइवेट लिमिटेड

विषय:- Selection of Contractor for the work of Legacy Waste Dumpsite Remediation Through Bioremediation, Biomining and desposal of Residual Waste Work at Balaghat कार्य बाबद।

संदर्भ:- ऑनलाईन निविदा दिनांक 11/12/2023 |

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित के संबंध में सूचित किया जाता है कि निविदा क्रमांक 2023_UAD_318933_2 Selection of Contractor for the work of Legacy Waste Dumpsite Remediation Through Bioremediation, Biomining and desposal of Residual Waste Work at Balaghat हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत निविदा की दर 23.56% कम नगरपालिका परिषद बालाघाट की परिषद की सामान्य बैठक दिनांक 11/03/2024 के प्रस्ताव/संकल्प क्रमांक 27 के द्वारा न्यूनतम होने से स्वीकृत की जा चुकी है।

अतः उक्त डंपिंग साईट पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के उपरांत अपना कार्य निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता अनुरूप समयावधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। कार्य को पूर्ण करने हेतु जो अवधि निर्धारित की गई है, वह मानसून अवधि के अतिरिक्त होगी।

प्राक्कलन लागत :	36169100/-
प्राप्त निविदा दर उपरांत लागत :	27647660.04/- (23.56% कम)
समय सीमा :	06 माह (180 दिन)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद बालाघाट
बालाघाट (म.प्र.)

क्र./ एफ / स्वां. शाखा / 2024 / 1031 बालाघाट, दिनांक- 15/5/24

प्रतिलिपी :

1. आयुक्त महोदय, नगरीय प्रशासन विकास एवं विभाग भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक स्व. भा.मि. शहरी संचालनालय नगरीय प्रशासन विकास एवं विभाग भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख अभियंता नगरीय प्रशासन विकास एवं विभाग भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

O/C

Received
15/5/24

4. कलेक्टर महोदय जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
5. सयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विकास एवं विभाग जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
6. अधीक्षण यंत्री संभाग जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
7. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
8. अध्यक्ष महोदया न.पा. परि. बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
9. सहायक यंत्री न.पा. परि. बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
10. उपयंत्री न.पा. परि. बालाघाट की ओर सूचनार्थ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद बालाघाट
नगरपालिका परिषद
बालाघाट (म.प्र.)

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	01010115052024004920		
Total E-Stamp Amount	28000		
Govt. Stamp Duty (Rs.)	28000	Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0	Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0		
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL		
Issue Date & Time	15/05/2024 12:18:30		
Service Provider or Issuer Details	HITESH KUMAR GOUTAM/SP010116605202200110		
SP/SRO/DRO/HO Details	BUS STAND CHOUHAN PHOTOCOPY & DANKA HOTEL K SIDE ME BALAGHAT BALAGHAT BALAGHAT		

Deed Details

Deed Type	Agreement/Memorandum of an agreement
Deed Instrument	If relating to secure repayment of a loan or debt.- 0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees
Purpose	Agreement

First Party Details

Organization Name	मुख्य नगर पालिका अधिकारी
Address	नगर पालिका परिषद बालाघाट BALAGHAT Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	आयुषी हाईजीन एण्ड केयर प्रा०लिमिटेड
Address	आयुषी हाईजीन एण्ड केयर प्रा०लिमिटेड BALAGHAT Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Aayushi Hygiene & Care Pvt. Ltd. DELHI

15/5/24

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बालाघाट (म.प्र.)

Digitally signed by Hitesh Kumar
Date: 2024.05.15 12:18:37 IST

01010115052024004920

Contract Agreement

This agreement, made on the day of 15 May 2024, between the Nagar Palika Parishad Balaghat [Ward No 14, Near Bus stand, Balaghat (MP), 481001] (Hereinafter called as "the Authority") of the first-part and M/S. Ayushi hygiene & care pvt. Ltd. (here in after called "the Contractor") of the second part.

Whereas the Authority is desirous that the Contractor execute the work of Legacy Waste Dumpsite Remediation Through Bioremediation, Biomining and desposal of Residual Waste Work at Nagar palika Parishad Balaghat (hereinafter called "the Works") and the Authority has accepted the Bid by the Contractor for the execution and completion of such Works and the remedying of any defects therein, at a contract price of INR **27647660.04/-** In Words **(Rupee Two Crore Seventy Six Lakh Fourty Seven Thousand Six Hundred Sixty Only)**

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows:

1. In this Agreement, words and expression shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Conditions of Contract hereinafter referred to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.

2. In consideration of the payments to be made by the Authority to the Contractor as here in after mentioned, the Contractor hereby covenants with the Authority to execute and complete the Works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the Contract.

3. The Authority here by covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying the defects wherein the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

4. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement, viz.:
   - i. Letter of Acceptance;
   - ii. Notice Inviting Bid;
   - iii. Bid Document issued by the Nagar Palika Parishad Balaghat and its subsequent amendments and corrigendum
   - iv. Contractor's submitted Bid documents;
   - v. Conditions of contract (including Special Conditions of Contract);
   - vi. Specifications;
   - vii. Drawings and Site Map;
   - viii. Any other document listed in the Condition of Contract forming part of the contract.
   - ix. The weigh bridge must have been installed at the site before work started by contractor.

Aayushi Hygiene & Care Pvt. Ltd. DELHI 15/5/24

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बालाघाट (म.प्र.)

The Common Seal of____was here unto affixed in the presence of:

साक्षी

1. Subeyiran

2. MANOJ GAJBHIYE

3. Surya Prakash

Signed, Sealed and Delivered by the said

In the presence of:

Binding Signature of Authority

Aayushi Hygiene & Care ... Pvt.

15/5/24

Binding Signature of Contractor
(To be signed by the Authorized Signatory of the Bidder)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बालाघाट (म.प्र.)

03.	प्रदर्श पी.–3/अ.सा.1	रिपोर्ट
04.	प्रदर्श पी.–4/अ.सा.1	धारा 5 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन जारी निर्देश
05.	प्रदर्श पी.–5/अ.सा.1	धारा 5 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन जारी सूचनापत्र

ख. प्रतिरक्षा

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

घ. आवश्यक वस्तुएं

सं.क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
–	–	–

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर (म.प्र.) के अपराध अंतर्गत धारा 15 एवं 17 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से उद्भूत प्रकरण।

(नि र्ण य)

(आज दिनांक 01 दिसम्बर 2022 को घोषित किया गया)

1– अभियुक्त पर दिनांक 31.12.2005 से 31.03.2008 के मध्य नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के अधीन जारी प्राधिकार के उल्लंघन में खसरा नंबर 4/1 प0ह0नं0 28 ग्राम रेंगाटोला, तह0 वारासिवनी जिला बालाघाट के 20 एकड़ पर अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं डिस्पोजल हेतु फेसिलिटी स्थापित नहीं किये जाने हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 (जिसे आगे नियम 2000 के नाम से संबोधित किया जायेगा) के नियम 2, 3, 4 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (जिसे आगे अधिनियम के नाम

01/12/22

(प्रियंका विश्वकर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

से संबोधित किया जायेगा) की धारा 5 के निर्देश के उल्लंघन में धारा 15 एवं 17 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का आरोप है।

2— परिवादी पत्र संक्षेप में यह है कि परिवादी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–4 के अंतर्गत हुआ है एवं नगरपालिका परिषद बालाघाट क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के नियंत्रण में है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवादी बोर्ड को न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता है। सदस्य सचिव म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल का पत्र क्र.514, दिनांक 21.01.2015 के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर को क्षेत्र में कार्यरत् नगरीय निकायों के प्रमुख एवं कर्ता के विरूद्ध नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये परिवाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई है। अभियुक्त नगरपालिका परिषद बालाघाट शासन का स्थानीय निकाय है तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी अभियुक्त के कार्यकलापों एवं संचालन के लिये उत्तरदायी हैं। भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3, 6 और 25 के अधीन नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम 2000 बनाये गये हैं, जिसकी धारा 4 में नगरपालिका प्राधिकारी का प्राधिकार तय किया गया है। उक्त नियम के अंतर्गत दायित्वों का विस्तृत विवरण अनुसूची 2, 3 एवं नियम 6(1)(3) तथा नियम 7(1)(2) में दिया गया है, उक्त नियमों का लागू करने का दायित्व नगरपालिका के प्राधिकारियों का है, जिसके अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं व्ययन के लिये आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना भी है तथा ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु स्थापित व्यवस्था तथा लैंडफिल का निर्माण करना भी शामिल है।

3— परिवाद पत्र आगे यह है कि अभियुक्त का यह भी दायित्व है कि वह प्रतिवर्ष निर्धारित प्रपत्र प्रारूप–2 में वार्षिक प्रतिवेदन जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रति

07/12/22

(प्रियंका विश्वकर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

बोर्ड को प्रस्तुत करे। नियम के अनुसूची 2, 3 एवं 4 नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, व्ययन, भू–भरण स्थलों का चयन, स्थल पर सुविधाएं, भू–भरण के लिये विनिर्दिष्ट प्रदूषण निवारण, कम्पोस्टिंग, लीचेट के संग्रहण उपचार, इन्सीनेरेशन के मानक आदि के संबंध में व्यवस्थाएं करती हैं। बोर्ड द्वारा अभियुक्त क्र.01 को नियम के अंतर्गत पत्र क्र.01 9944 दिनांक 31.12.2015 एवं पत्र क्र.12707 दिनांक 30.03.2007 द्वारा दिनांक 31.03.2008 तक वैध प्राधिकार जारी किया गया था, प्राधिकार के अनुसार अभियुक्त क्र.01 को खसरा नंबर 4/1 प.ह.नं.28 ग्राम रेंगाटोला, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट पर 20 एकड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं डिस्पोजल हेतु फेसेलिटीज स्थापित करने थी। अभियुक्त द्वारा नियम 2000 की अनुसूची–2 व 3 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था नहीं गई, सेनेटरी लैंड फिल का निर्माण नहीं किया गया, नगरीय ठोस अपशिष्ट को खुले में डम्प किया जाता था। प्रोसेसिंग प्रसंस्करण हेतु कम्पोस्टिंग, वर्मीकल्चर की व्यवस्थाएं स्थापित नहीं की गईं।

4– परिवाद आगे यह है कि बोर्ड द्वारा नगरपालिका क्षेत्र एवं ट्रेचिंग ग्राउण्ड का निरीक्षण दिनांक 25.02.2015 को कराया गया। बोर्ड द्वारा पत्र क्र.8668 दिनांक 02.02.2009 द्वारा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत निर्देश दिये गये थे कि नियम 2000 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने हेतु टाईम बाउण्ड एक्शन प्लान मय प्राधिकार हेतु एक माह के भीतर बोर्ड को आवेदन करें तथा नगरीय अपशिष्टों के क्वांटिफिकेशन एवं करेक्टराईजेशन का कार्य कर एक माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पुनः बोर्ड द्वारा पत्र क्र.5255 दिनांक 25.01.2014 द्वारा निर्देश जारी किये गये, परंतु अभियुक्त द्वारा नगरीय अपशिष्टों के क्वांटिफिकेशन एवं करेक्टराईजेशन का कार्य कर न तो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और न ही बोर्ड के

CF101 01.12.22

01/12/22
(प्रियंका विश्वकर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

CANCELLED

निर्देशों का पालन किया गया, जो नियम 2000 के नियम 4(2) का उल्लंघन है, इसलिये अभियुक्तग को अधिनियम की धारा 15 एवं 17 के अधीन दंडित किये जाने का निवेदन किया है।

5— अभियुक्त का धारा 313 दं0प्र0सं0 1973 के अधीन परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त द्वारा यह प्रतिरक्षा ली गई है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है परंतु बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

6— प्रकरण के न्यायिक विनिश्चय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है :—

क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 31.12.2005 से 31.03.2008 के मध्य नियम 2000 के अधीन जारी प्राधिकार के उल्लंघन में खसरा नंबर 4/1 प.ह. नं. 28, ग्राम रेंगाटोला, तह0 वारासिवनी, जिला बालाघाट के 20 एकड़ क्षेत्रफल पर अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं डिस्पोजल हेतु फेसिलिटी स्थापित नहीं की गई?

—:: विचारणीय प्रश्न का विवेचन एवं निष्कर्ष ::—

7— परिवादी द्वारा पक्ष समर्थन में साक्षी श्रीनिवास द्विवेदी परि.सा.01 एवं डॉ0 एस0के0 खरे परि.सा.02 की अभिसाक्ष्य एवं प्र.पी.01 लगायत प्र.पी.05 के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। बचावपक्ष द्वारा अभिसाक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

8— साक्षी श्रीनिवास द्विवेदी परि.सा.01 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह दिनांक 05.01.2014 से म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर में क्षेत्रीय अधिकारी के पद पर पदस्थ है। अधिनियम की धारा 19 के अधीन क्षेत्रीय अधिकारी को परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त अभिकथन के समर्थन में साक्षी द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.04.1987 की छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना प्रकट किया गया है। चूंकि उक्त छायाप्रति परिवादी की ओर से साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं

(प्रियंका विश्वकर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

करायी गई है, इसलिये साक्ष्य में उपयोग में नहीं लायी जा रही है। बचावपक्ष द्वारा साक्षी के परिवाद दायर करने के अधिकार को कोई चुनौती नहीं दी गई है। अतः परिवादी द्वारा सक्षम प्राधिकार के तहत परिवाद दायर किया जाना दर्शित होता है।

9— साक्षी श्रीनिवास द्विवेदी परि.सा.01 ने आगे यह अभिव्यक्त किया है कि मुख्यालय के पत्र क्र.514 दिनांक 21.01.2015 द्वारा नियम 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिये बोर्ड को परिवाद दायर करने हेतु निदेशित किया गया था, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में लंबित प्रकरण क्र.199/14 अलमित्रा एच. पटेल वि0 भारत संघ व अन्य में अधिकारण दिये गये निर्देशों के पालन में जारी किया गया था। साक्षी ने अग्रेतर प्रकट किया है कि नियम 2000 द्वारा ठोस अपशिष्टों के संग्रहरण, भण्डारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण, निस्तारण के संबंध में व्यवस्थाएं दी गईं हैं। नगरीय निकायों को तत्संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा पत्र क्र.9844 दिनांक 21.12.2005 प्र.पी.01 एवं पत्र क्र.12760 दिनांक 30.03.2007 प्र.पी.02 द्वारा नगरपालिका बालाघाट को सशर्त प्राधिकार जारी किया था। साक्षी ने प्राधिकार पत्र प्र.पी.01 एवं 02 पर क्षेत्रीय अधिकारी पी0एस0 बुंदेला के हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। साक्षी ने प्रकट किया है कि प्राधिकार पत्र द्वारा अभियुक्त नगरपालिका बालाघाट को सेनेटरी लैंड कम्पोस्टिंग प्लांट विकसित करने के लिये प्राधिकार दिया गया था, प्राधिकार ग्राम रेंगाटोला, तहसील वारासिवनी पर ठोस अपशिष्ट डिस्पोजल हेतु सेनेटरी लैण्ड व कम्पोस्टिंग प्लांट स्थापित एवं संचालित करने हेतु दिया गया था जिसकी वैधता दिनांक 30.06.2006 तक थी जो प्र.पी.02 के प्राधिकार द्वारा दिनांक 31.03.2008 तक बढ़ाई गई थी।

10— साक्षी श्रीनिवास द्विवेदी परि.सा.01 ने आगे यह अभिव्यक्त किया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगरपालिका का उत्तरदायित्व है, जो नियम 4 में बताया गया है। इसी प्रकार नियम–7 में अपशिष्टों के प्रबंधन के संबंध में विवरण

CF101-0120.R22

01/12/22
(प्रियंका विश्वकर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY CANCELLED

हैं। नियम–7 के साथ अनुसूची 2 व 3 में विस्तार से अपशिष्ट प्रबंधन की विधियों के बारे में उल्लेख है। नियम 4(4) के अनुसार प्रतिवर्ष 30 जून के पूर्व वार्षिक प्रतिवेदन का प्रावधान है। नगरपालिका परिषद बालाघाट एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी बालाघाट के द्वारा नियम 2000 के उक्त प्रावधान के पालन की कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भण्डारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण, डिस्पोजल हेतु व्यवस्था स्थापित की गई है तथा दिनांक 31.03.2008 को समाप्त हुये प्राधिकार के नवीनीकरण के लिये कोई आवेदन प्रस्तुत न कर बिना प्राधिकार के नगरीय ठोस अपशिष्टों को अवैध रूप से खुले मैदान में डम्प किया जा रहा था।

11— साक्षी श्रीनिवास द्विवेदी परि.सा.01 ने आगे यह व्यक्त किया है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 25.02.2015 को नगरपालिका परिषद बालाघाट का निरीक्षण डॉ0 एस0के0 खरे से कराया गया था, जिन्होंने निरीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.03 प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार नगरपालिका परिषद द्वारा डम्पिंग साईड पर कचरे को डम्प किया जाना एवं कचरे के डिस्पोजल की कोई व्यवस्था स्थापित न किया जाना पाया गया था।

12— साक्षी श्रीनिवास द्विवेदी परि.सा.01 ने आगे यह अभिव्यक्त किया है कि बोर्ड के पत्र क्र.8668, दिनांक 02.02.2009 द्वारा अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्देश प्र.पी.04 जारी किया गया था, उक्त निर्देश पर साक्षी ने तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर एस.पी.गौतम के हस्ताक्षर के पहचान की है। साक्षी ने प्रकट किया है कि निर्देश द्वारा नगरपालिका परिषद को नियम 2000 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिये एक माह के भीतर टाईम बाउण्डेशन प्लान प्रस्तुत करना था तथा नगरीय अपशिष्टों का क्वांटिफिकेशन एवं करेक्टराईजेशन का कार्य कर एक माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। उक्त निर्देशों का पालन नगरपालिका परिषद द्वारा नहीं किया गया।

01/12/22
(प्रियंका विश्वकर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट
जिला–बालाघाट (म.प्र.)

13— साक्षी श्रीनिवास द्विवेदी परि.सा.01 ने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया है कि बोर्ड ने पत्र क्र.5256, दिनांक 25.01.2014 द्वारा प्र.पी.05 के पुनः निर्देश जारी किये थे, उक्त निर्देश पर साक्षी ने तत्कालीन अध्यक्ष डॉ0 एन0पी0 शुक्ला के हस्ताक्षर की पहचान की है। साक्षी ने प्रकट किया है कि उक्त निर्देश का पालन भी न तो नगरपालिका द्वारा किया गया न ही प्राधिकार नवीनीकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया। नगरपालिका परिषद बालाघाट एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नियमों के पालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्र.199/14 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करने वाले नगरीय निकायों के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था इसलिये बोर्ड की ओर से उसने परिवाद प्रस्तुत किया है।

14— साक्षी डॉ0 एस0के0 खरे परि.सा.02 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह दिनांक 25.02.2015 को म0प्र0 प्रदूषण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में वैज्ञानिक के पद पर पदस्थ था, उसने उक्त दिनांक को नगरपालिका परिषद बालाघाट में नियम 2000 के प्रावधानों के तहत नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण के अंतर्गत नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में नगरपालिका द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था नहीं की गई थी। उस समय मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपस्थित थे, जांच में उसने पाया था कि नियमों के प्रावधानों के तहत अपशिष्ट स्थल विकसित नहीं किया गया था। डिस्पोजल साईट पर नगरीय ठोस अपशिष्ट बिना उपचार के जमा किये जा रहे थे। साक्षी ने निरीक्षण उपरांत प्रतिवेदन प्र.पी.03 तैयार किया जाना प्रकट कर उक्त प्रतिवेदन पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

15— इस प्रकार परिवादी साक्षीगण की साक्ष्य से स्पष्ट है कि म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय जबलपुर द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा

CA01 9/20.12.22

01/12/22
(प्रियंका विश्वकर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

5, सहपठित नियम 2000 के नियम 4(2) के अधीन नगरपालिका परिषद बालाघाट को प्राधिकार प्र.पी.01 एवं प्र.पी.02 इस निर्देश के साथ जारी किये गये थे कि नगरपालिका परिषद बालाघाट प.ह.नं.28, खसरा नंबर 4/1 रकबा 20 एकड़ पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण, डिस्पोजल के लिये फेसिलिटी स्थापित करें। प्रतिपरीक्षण में साक्षी श्रीनिवास द्विवेदी परि.सा.01 की साक्ष्य प्र.पी.01 एवं प्र.पी.02 प्राधिकार जारी किये जाने के संबंध में अखंडित है। प्रतिपरीक्षण में बचावपक्ष द्वारा उक्त साक्षी को यह सुझाव प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 2005 में जो प्राधिकार जारी किया गया था, वह दिनांक 30.06.2006 तक वैध था, जिसका एक्सटेंशन पत्र दिनांक 30.03.2007 द्वारा दिनांक 31.03.2008 तक के लिये किया गया था। बचावपक्ष के उक्त सुझाव से ही स्पष्ट है कि विवक्षित रूप से बचावपक्ष ने इस बात को स्वीकार किया है कि बोर्ड द्वारा नगरपालिका परिषद बालाघाट को ठोस अपशिष्टों के डिस्पोजल हेतु फेसिलिटी स्थापित करने हेतु प्राधिकार जारी किये गये थे।

16— अब यह निर्धारित किया जाना है कि क्या बोर्ड द्वारा सुसंगत प्राधिकार प्र.पी.1 एवं प्र.पी.02 जारी किये जाने के उपरांत भी नगरपालिका परिषद बालाघाट ने सुसंगत स्थल पर ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन, व्ययन हेतु फेसिलिटी स्थापित नहीं की। इस संदर्भ में साक्षी श्रीनिवास द्विवेदी परि.सा.01 ने यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि नगरपालिका परिषद द्वारा नियम 2000 के प्रावधानों के अधीन नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं डिस्पोजल हेतु प्राधिकार जारी होने के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं की थी, इसलिये बोर्ड द्वारा नगरपालिका परिषद बालाघाट का तत्संबंध में निरीक्षण कराया गया था। नगरपालिका परिषद बालाघाट का निरीक्षण डॉक्टर एस0के0 खरे परि.सा.02 द्वारा किया गया था। उक्त साक्षी द्वारा तैयार किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.05 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से दर्शित है कि डिस्पोजल साईट खसरा नंबर 4/1

(प्रियंका विश्वकर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

ग्राम रेंगाटोला में नियम 2000 में बताये गये नियमों के अधीन विकसित नहीं की गई थी। उक्त स्थल पर केवल कचरे को डम्प करने का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार परिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनो साक्षीगण की साक्ष्य से स्पष्ट है कि नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा बोर्ड के प्राधिकार जारी किये जाने के उपरांत भी ग्राम रेंगाटोला में नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं डिस्पोजल के लिये फेसिलिटी स्थापित नहीं की गई थी।

17— बचावपक्ष द्वारा साक्षी श्रीनिवास द्विवेदी परि.सा.01 को प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिया है कि नगरपालिका परिषद के द्वारा नजूल विभाग की जमीन के संबंध में विवाद चला था, वर्ष 2013—14 में निरंतर नगरपालिका परिषद द्वारा कलेक्टर महोदय को सीमांकन हेतु पत्राचार किया गया तथा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं डिस्पोजल के संबंध में जो जमीन आबंटित की गई थी, उस पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था व उस जमीन पर प्रसंस्करण, डिस्पोजल, उपकरण लगाने के संबंध में शासन से राशि की मांग की गई थी। उक्त सभी सुझावों से साक्षी श्रीनिवास द्विवेदी परि.सा.01 ने अनभिज्ञता प्रकट की है। यह उल्लेखनीय है कि बचावपक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी सुझाव बचावपक्ष की व्यक्तिगत जानकारी के तथ्य हैं, जिन्हें बचावपक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत कर ही साबित किया जा सकता था। इस संदर्भ में धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 स्पष्ट प्रावधान करती है — "जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उसपर है।" उक्त प्रावधान के प्रकाश में बचावपक्ष द्वारा लिये गये बचाव को साबित करने का भार बचावपक्ष पर था परंतु तत्संबंध में बचावपक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अंतिम तर्क के प्रक्रम पर यह तर्क प्रस्तुत किया है कि खसरा नंबर 4/1 ग्राम रेंगाटोला में अतिक्रमण होने के कारण उच्च अधिकारियों से लगातार पत्राचार किया गया। उक्त तथ्य को बचावपक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है,

CFPL620.12.22

01/12/22
(प्रियंका विश्वकर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

जबकि उक्त तथ्य सहज ही साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित किया जा सकता था, बचावपक्ष द्वारा अतिक्रमण होने के कारण नवीन प्राधिकार प्राप्त किया हो, ऐसा भी कोई बचाव नहीं लिया है, इसलिये साक्ष्य के अभाव में बचावपक्ष के विरूद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114छ के अधीन प्रतिकूल उपधारणा की जा सकती है कि यदि ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत की जाती तो वह बचावपक्ष के विरूद्ध होती, इसलिये बचावपक्ष के अंतिम तर्क एवं उनके द्वारा साक्षीगण को दिये गये सुझाव संधारणीय नहीं हैं।

18– उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से परिवादी साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण उपलब्ध न होने से परिवाद की कार्यवाही विश्वसनीय है। अतः परिवादी संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 31.12.2005 से 31.03.2008 के मध्य नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के अधीन जारी प्राधिकार के उल्लंघन में खसरा नंबर 4/1 प0ह0नं0 28 ग्राम रैंगाटोला, तह0 वारासिवनी जिला बालाघाट के 20 एकड़ पर अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं डिस्पोजल हेतु फेसिलिटी स्थापित नहीं की गई।

19– अतः अभियुक्त को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 सहपठित धारा 17 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय अस्थायी रूप से स्थगित किया जाता है।

01/12/22
(प्रियंका विश्वकर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.)

पुनश्च :–

20– दण्ड के प्रश्न पर परिवादी तथा अभियुक्त के अभिभाषक को सुना गया। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है तथा उसपर कोई पूर्व दोषसिद्धि

01/12/22
(प्रियंका विश्वकर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट
जि... बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजित नही है। अभियुक्त के संबंध में उसके विद्वान अभिभाषक ने नर्म रूख अपनाने का निवेदन किया तथा परिवादी ने कठोरतम दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रस्थापना की है।

21— अब अभियुक्त को दंड दिये जाने के संदर्भ में विचार किया जा रहा है। अधिनियम की धारा 17 सरकारी विभागों द्वारा किये गये अपराधों के संबंध में विस्तृत प्रावधान करती है। उक्त धारा 17 की उपधारा 1 यह उपबंधित करती है कि अधिनियम के अधीन जब कोई अपराध सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है, वहां विभाग अध्यक्ष को अपराध का दोषी समझा जावेगा और तद्नुसार वह दण्ड का भागी होगा, परंतु उक्त धारा विभाग अध्यक्ष को उत्तरदायी नहीं बनाती, जब अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया हो। उक्त प्रावधान के अधीन अभियुक्त के कृत्यों के लिये उसका भारसाधक अधिकारी दायित्वाधीन होगा, प्रस्तुत प्रकरण में तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी डी.एस. परिहार की मृत्यु हो चुकी है। स्पष्टतः दर्शित है कि वर्तमान मुख्य नगरपालिका अधिकारी, तत्कालीन अधिकारी के कृत्यों के लिये दायित्वाधीन नहीं ठहराया जा सकता है। प्रकरण के परिशीलन से दर्शित है कि अभियुक्त नगरीय निकाय होकर विधिक व्यक्तित्व है, जिसे भौतिक रूप से निरूद्ध कर कारावास से दंडित किया जाना संभव नहीं है, परंतु अभियुक्त विधिक व्यक्तित्व है, जिसका शाश्वत अस्तित्व है, इसलिये अभियुक्त को केवल जुर्माने से दण्डित किया जाना उचित है।

22— प्रकरण दिनांक 03.03.2015 से लगभग सात वर्षों से लंबित है। अभियुक्त उक्त लंबी अवधि से विचारण का सामना कर रहा है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में **10,000/— (दस हजार) रूपये** के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदायगी के व्यतिक्रम में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 421 दं0प्र0सं0 के अधीन जुर्माना राशि वसूली हेतु प्रकरण पंजीबद्ध

CF 10/ 820.123

01/12/22

(प्रियंका विश्वकर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

किया जावे।

23— अभियुक्त के प्रतिभूति एवं व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं।

24— अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदाय की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर, घोषित किया गया

(हस्ताक्षर) 01/12/22

(प्रियंका विश्वकर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बालाघाट (म.प्र.)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया

(हस्ताक्षर) 01/12/22

(प्रियंका विश्वकर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बालाघाट (म.प्र.)

सत्यप्रति
20.12
मुख्य प्रतिलिपि
बालाघाट
दिनांक

प्रतिलिपि आवेदन पत्र क्रमांक...567/2022
आवेदन पत्र प्राप्ति की दिनांक...09.12.22
आवेदक को उपस्थिति हेतु दी गई दिनांक...19.12.22
आवेदक के उपस्थित होने की दिनांक...20.12.22
आवेदन पत्र ([illegible])
अभिलेखागार को [illegible]...09.12.22
आवेदन पत्र के [illegible] (अभिलेख के साथ
या और [illegible] अभिलेख
के) प्राप्त होने की दिनांक...15.12.22
आवेदक की ओर से [illegible] की सूचना
की दिनांक...
आवेदक को और [illegible] की सूचना देने की
दिनांक...
स्तम्भ (6) या (7) की सूचना के पालन की दिनांक... 15.12.22
प्रतिलिपि तैयारी की दिनांक...
प्रतिलिपि देने या भेजने की दिनांक...20.12.22
वसूल की गई न्याय शुल्क...70/-
20.12.22

मिलानकर्ता

Annexure 6

स्पीड पोस्ट/महत्वपूर्ण एनजीटी

क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
स्कीम नं0 5,प्लाट नं.455/456, विजयनगर, जबलपुर–482002

Phone & Fex-0761-4042780 E-Mail romppcbjbp@rediffmail.com

क्रमांक 1047/क्षे.का./प्रनिबो/2024 जबलपुर, दिनांक 31/7/24

प्रति,

श्री निशांत श्रीवास्तव
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद बालाघाट
जिला–बालाघाट

विषय :– नगरीय ठोस अपशिष्ठ का भण्डारण एवं समुचित रूप से डिस्पोजल नही करने के कारण, कारण बताओ नोटिस।

सदर्भ :– इस कार्यालय द्वारा नगरीय निकाय स्थित रेगांटोला डम्प साइट का निरीक्षण दिनांक 30/07/2024

––00––

उपरोक्त विशयान्तर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 138/2024 (प्रजेश बिसेन व अन्य विरूद्ध नगर पालिका अधिकारी बालाघाट एवं अन्य) में दिनांक 31/05/2024 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिका बालाघाट की रेगांटोला डम्प साईट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नगरीय ठोस अपशिष्ठ का काफी मात्रा में लेगेसी वेस्ट भण्डारण पाया गया है एवं नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रक्रिया के मटेरियल रिकवरी प्लांट की मशीने भी बंद पाई गई है जो नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन) नियम 2016 का उल्लंघन है। आपके द्वारा वर्तमान में वैध प्रधिकार प्राप्त किये बिना नगरीय ठोस अपशिष्ठ का प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ठ स्थल में लीचेट/सीपेज के संग्रहण तथा उपचार हेतु कोई व्यवस्था कार्यरत नही पाई गई है तथा समीपस्थ नाला स्थनीय नदी में मिलता है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कारण स्पष्ट करे कि नगरीय ठोस अपशिष्ठ के समुचित डिस्पोजल नही करने के कारण क्यो न आपके विरूद्ध पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के प्रावधान अन्तर्गत न्यायालयीन प्रकरण दायर किया जाये। आपका उत्तर पत्र जारी होने की दिनांक से 10 दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। निर्धारित समयवधि में उत्तर प्राप्त नही होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

(आलोक कुमार जैन)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ– 1048 /क्षे.का/प्रनिबो/2024, जबलपुर,दिनांक– 31/8/24 31/7/24

प्रतिलिपिः–

1–शहरी विकास अभिकरण, कलेक्टर कार्यालय बालाघाट जिला–बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2–विधि अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(आलोक कुमार जैन)
क्षेत्रीय अधिकारी

MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016
Phone (0755)-2466191, 2464428, Fax (0755)-2463742, E- mail:mswmppcb18@gmail.com

No. 174/MSW/HOPCB/2021 **Bhopal, Date: 24 /12 /2021**

To,

The Chief Municipal Officer,
Nagar Palika Parishad,
Balaghat,
Distt.- Balaghat (M.P.)

Sub: Execution of the directions passed by Hon'ble National Green Tribunal imposing Environment Compensation for the period 01/07/2020 to 31/12/2020 for violating the provisions of Solid Waste Management Rules 2016.

Ref: 1. NGT orders dated 25.02.2020, 28.02.2020 & 14.12.2020 in OA No. 606/2018 "Compliance of Municipal Solid Waste Management rules, 2016".
2. This office letter No. 62/HOPCB/2021 Bhopal Dated 01/03/2021

WHEREAS MP Pollution Control Board (MPPCB) is a statutory body constituted under section 4 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and has been entrusted with the responsibilities of enforcement of the Environment Laws prevailing in the state.

WHEREAS, the power to issue directions under section-5 of the Environment (Protection) Act, 1986 has been delegated to the Chairman, MPPCB vide notification dated 10.04.2001.

WHEREAS, you are the Urban Local Body- **Nagar Nigam/ Nagar Palika Parishad / Nagar Parishad/Cantonment Board** and it is the mandatory duty of Urban Local Bodies/ Cantonment Board to comply with the Solid Waste Management Rules, 2016.

WHEREAS, you have not obtained authorization as per the provision of Solid Waste Management Rules, 2016 from the MPPCB.

WHEREAS, in OA No. 606/2018 , "Compliance of Solid Waste Management Rules, 2016 and other environment issues", Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi has directed on 17/01/2020 & 25/02/2020 that :-

1. *After 31.03.2020 failure to comply with Rule 22 of SWM Rules, from Serial No. 1 to 10, every local body shall be liable to pay compensation at the rate of Rs. 10 Lakh per month per local body for population of above 10 lakhs, Rs. 5 lakh per month per local body for population between 5 lakhs and 10 lakhs and Rs. 1 lakh per month per other local body from 01.04.2020 till compliance.*
2. *Continued failure of every local body on the subject of commencing the work of legacy waste sites remediation from 01.04.2020 till compliance will result in liability to pay compensation at the rate of Rs. 10 lakh per month per local body for population of above 10 lakhs, Rs. 5 lakh per month per local body for population between 5 lakhs and 10 lakhs and Rs. 1 lakh per month per other local body.*
3. *Commencement of setting up of STPs by 31.03.2020 – Compensation is payable for failure to do so at the rate of Rs. 5 lakh per month per STP by concerned local bodies/State (in terms of orders dt 28.08.2019 in O.A No 593/2017 and 06.12.2019 in OA. No 673/2018) w.e.f. 01.04.2020.*

MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016

Phone (0755)-2466191, 2464428, Fax (0755)-2463742, E- mail:mswmppcb18@gmail.com

Azadi Ka Amrit Mahotsav

4. *Interim measures for phytoremediation/bioremediation etc. in respect of 100% sewage to reduce the pollution load on recipient water bodies shall be under taken by 31.03.2020 – Compensation is payable for failure to do so at the rate of Rs. 5 lakh per month per drain by concerned local bodies/States (in terms of orders dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 and 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018) w.e.f. 01.04.2020.*

WHEREAS, NGT vide its order dated 14/12/2020 has extended the time line for levy of compensation from 01/04/2020 to 01/07/2020.

WHEREAS, State PCB has been directed by NGT vide order dated 28.02.2020 to assess and recover the amount of compensation liable to be paid by the Urban Local Bodies on the basis of above criteria.

WHEREAS, as per report of the site inspection dated **08.07.20 & 04.08.21** carried out by Regional Office, MPPCB, **Jabalpur**, it is observed that you have not complied with the tasks & timelines given by the Hon'ble NGT for period 30.06.2020 to 31.12.2020 as per details given below :-

Non Compliance									
ULB Name	District	Rule 22of SWM Rules 2016		Legacy Waste disposal	Bioremediation of Drains		Commencement of STP installation		Total (Rs In lakh)
		S.No of Non Compliance	Compensation (Rs In lakh)	Compensation (Rs In lakh)	No of Drains	Compensation (Rs In lakh)	No of STPs	Compensation (Rs In lakh)	
Balaghat	Balaghat	2,3,8,10	6	0	3	90	1	30	126

WHEREAS, till date no reply of above referred notice dated 01.03.2021 has been received from you end. Whereas the Commissioner Urban Administration & Development Department, Govt. of MP has been requested vide letter no. 167 dt. 12/11/2021 to direct the Urban local bodies to deposit the amount of environmental compensation. In this respect Additional Commissioner Urban Administration Directorate has directed you vide letter sha-14/SBM/2021/2150 dt.17-12-2021 to take cognizance and comply as per law;

You are hereby directed to pay Environment Compensation of Rs.126 Lakhs for period of violation from 01.07.2020 to 31.12.2020 i.e. 06 months within 15 days from the date of issue these directions, in the P.D. account number 051/1121/2109 of Additiaonal Secretary Environment Department in Vindhyachal Treasury, Vindhyachal Bhawan Bhopal.

This issues with the approval of the competent authority. Kindly acknowledge the receipt of this letter.

For and On Behalf of
M.P. Pollution Control Board

(A.A.Mishra)
Member Secretary

Copy to :-

The Regional Officer, M. P. Pollution Control Board, **Jabalpur** for information & necessary action please.

NGT/न्यायालयीन प्रकरण–स्मरण पत्र

क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
स्कीम नं0 5,प्लाट नं.455 / 456, विजयनगर, जबलपुर–482002
Phone & Fex-0761-4042780 E-Mail romppcbjbp@rediffmail.com

क्रमांक / 1212 / प्रनिबो / क्षे.का. / 2023
प्रति,

जबलपुर दिनांक 29/8/23

कलेक्टर
कलेक्टर कार्यालय,
जिला बालाघाट (म0प्र0.)

विषय– नगर पालिका परिषद बालाघाट, जिला बालाघाट पर अधिरोपित पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि रूपये 126 लाख की भू–राजस्व के रूप में वसूली करने बाबत्।

संदर्भ :–1. बोर्ड मुख्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 2043 दिनांक 11 / 08 / 2023
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 898 दिनांक 17 / 08 / 2023

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार लेख है, कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 606 / 2018 में जारी आदेश दिनांक 24 / 12 / 2021 के अनुसार निर्देशों के परिपालन में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने हेतु लिखा गया था। इस संबंध में बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त पत्र क्रमाक 2043 दिनांक 11 / 08 / 2023 की प्रति संलग्न की गई थी। जिसमें नगर पालिका परिषद बालाघाट, जिला बालाघाट को निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूति 15 दिवस के भीतर जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु आज दिनांक निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि जमा नही की गई है, जिससे माननीय अधिकरण के आदेश का पालन नही किया जा सका।

नगर पालिका परिषद बालाघाट, जिला बालाघाट के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली भू–राजस्व के रूप में कर सदस्य सचिव म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन्वायरमेंट प्रोटैक्सन फण्ड एन0जी0टी0 अकाउन्ट पंजाब नेशनल बैंक शाहपुर भोपाल आईएफएससी कोड (PUNB0631000), A/c No. 6310001200000043 में जमा कराने का कष्ट करें।

(आलोक कुमार जैन)
क्षेत्रीय अधिकारी
म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक 1213 / क्षे.का / प्रनिबो / 2023, जबलपुर,दिनांक 29/8/23
प्रतिलिपि :–

सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।

O/c

(आलोक कुमार जैन)
क्षेत्रीय अधिकारी
म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जबलपुर (म0प्र0)

Photograph Taken during Site Inspection

Annexure-9

Dated-30.07.2024

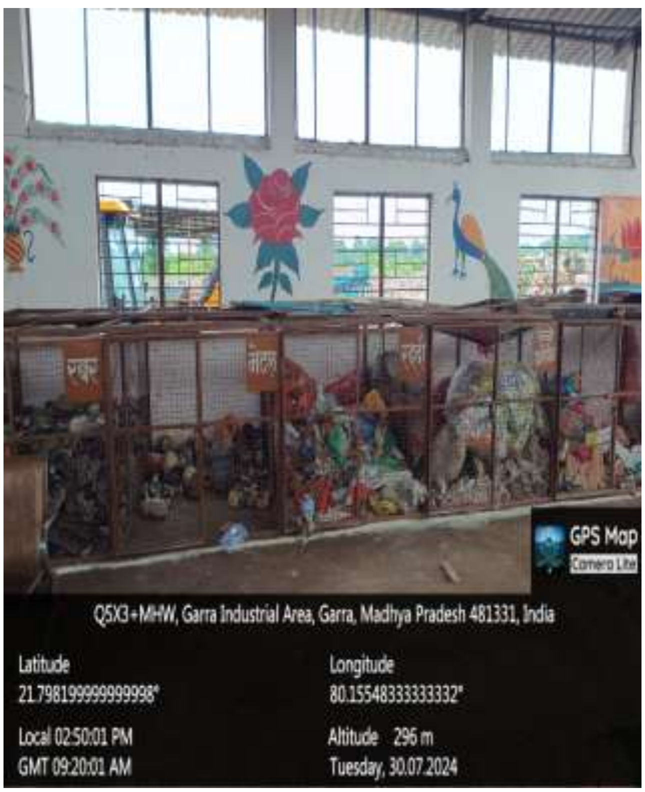

Photograph Taken during Site Inspection

Annexure-9

Photograph Taken during Site Inspection

Annexure-9

GPS photographs taken during Site inspection

Annexure-9

Dated 23.08.2024

GPS photographs taken during Site inspection

Annexure-9

Dated 23.08.2024